न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

खाद्य सुरक्षा अधि0 अपील सं. 15/2017

सोमीन खान पुत्र श्री अख्तर खान,तोपदडा, अजमेर।

..............अपीलार्थी

बनाम

उप खण्ड अधिकारी, अजमेर, जिला–अजमेर (राज0)

.........प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

आदेश

दिनांक – 7.12.2017

अपीलान्ट द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की सूची में नाम जुडवाने हेतु प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी अजमेर के यहॉ प्रस्तुत की गई। उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा अपीलार्थी के आवेदन/अपील की जॉच आयुक्त नगर निगम, से करवाई गई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिनांक 24.05.2017 (क्रम संख्या 2346) द्वारा राज्य सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के परिपत्र 2.2.2015 की समावेशन सूची "अ" (inclusion) श्रेणी में सम्मिलित नहीं होने के कारण प्रार्थी का आवेदन/अपील खारिज की गई जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उप खण्ड अधिकारी, अजमेर से टिप्पणी मय रेकार्ड प्राप्त की गई। प्रार्थना पत्र एवं उप खण्ड अधिकारी, अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का मय रेकार्ड अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/द्वितीय अपील के साथ भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान हिताधिकारी पंजीयन कार्ड एवं भामाशाह कार्ड की छाया प्रति पेश की है, जो पूर्व में उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर प्रकरण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान हिताधिकारी पंजीयन कार्ड एवं भामाशाह कार्ड की छाया प्रति के उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पुनः जॉच कर 15 दिवस में गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 7.12.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

07/12/17

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर(रसद)
अजमेर

Scanned by CamScanner